हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/12/19 वकील वादी उप.। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि इस वाद केवल के द्वारा ही मूल वाद के अप्रार्थी सं. 01 के हक हिस्से की आराजी के अप्रार्थी सं. 01 व वादीगण को क्रमशः बराबर-बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये गये हैं। चूंकि वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 विवादित आराजी के संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार हैं तथा वादी नं. 2 व 3 नाबालिग [illegible] होने तक [illegible] निमाल [illegible] वसीयत [illegible] हस्तान्तरण से पाबन्द किया गया है। अतः मूल वाद के पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने से अब प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना खारिज किया जाकर पत्रावली केवल ... हेतु नजर रखी जाकर बाद वसूली शुल्क दाखिल दफ्तर होवे। अजार जारी हो।	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.12.30 14:35:56 IST
Reason: SelfAttested